Part IX: The Panchayats

Part IX of the Constitution of India deals with the Panchayats. It contains provisions regarding the organization and powers of the Panchayats, which are rural local self-government institutions in India.

Article 243B provides for the constitution of Gram Sabha in a village or a group of villages, and empowers it to function as a unit of self-government.

Article 243C provides for the constitution of Panchayats at the village, intermediate, and district levels, and lays down their powers and responsibilities.

Article 243D provides for the reservation of seats for scheduled castes, scheduled tribes, and women in the Panchayats.

Article 243E provides for the powers and responsibilities of the Panchayats, including the preparation of plans for economic development and social justice, and the implementation of schemes for economic development and social justice.

Article 243F provides for the finances of the Panchayats, including the powers of the State Legislatures to make laws on the finances of the Panchayats.

Article 243G provides for the superintendence, direction, and control of Panchayats by the State Election Commission.

Overall, Part IX of the Constitution of India lays down the provisions regarding the organization and powers of the Panchayats, and aims to empower rural communities through local self-government and promote economic development and social justice.

भाग IX: पंचायतें

भारत के संविधान का भाग IX पंचायतों से संबंधित है। इसमें पंचायतों के संगठन और शक्तियों के संबंध में प्रावधान हैं, जो भारत में ग्रामीण स्थानीय स्वशासन संस्थान हैं।

अनुच्छेद 243बी एक गाँव या गाँवों के समूह में ग्राम सभा के गठन का प्रावधान करता है, और इसे स्वशासन की एक इकाई के रूप में कार्य करने का अधिकार देता है।

अनुच्छेद 243सी ग्राम, मध्यवर्ती और जिला स्तरों पर पंचायतों के गठन का प्रावधान करता है, और उनकी शक्तियों और जिम्मेदारियों को निर्धारित करता है।

अनुच्छेद 243D पंचायतों में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और महिलाओं के लिए सीटों के आरक्षण का प्रावधान करता है।

अनुच्छेद 243ई आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय के लिए योजनाओं की तैयारी, और आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय के लिए योजनाओं के कार्यान्वयन सहित पंचायतों की शक्तियों और जिम्मेदारियों का प्रावधान करता है।

अनुच्छेद 243एफ पंचायतों के वित्त पर कानून बनाने के लिए राज्य विधानसभाओं की शक्तियों सहित पंचायतों के वित्त का प्रावधान करता है।

अनुच्छेद 243G राज्य चुनाव आयोग द्वारा पंचायतों के अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण का प्रावधान करता है।

कुल मिलाकर, भारत के संविधान का भाग IX पंचायतों के संगठन और शक्तियों के बारे में प्रावधान करता है, और इसका उद्देश्य स्थानीय स्वशासन के माध्यम से ग्रामीण समुदायों को सशक्त बनाना और आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय को बढ़ावा देना है।

Part IXA: The Municipalities

Part IXA of the Constitution of India deals with the Municipalities. It contains provisions regarding the organization and powers of the Municipalities, which are urban local self-government institutions in India.

Article 243P provides for the constitution of Nagar Panchayats (for areas in transition from rural to urban) and Municipal Councils (for smaller urban areas) and Municipal Corporations (for larger urban areas).

Article 243Q provides for the composition of the Municipalities, including the reservation of seats for scheduled castes, scheduled tribes, and women.

Article 243R provides for the powers and responsibilities of the Municipalities, including the preparation of plans for economic development and social justice, and the implementation of schemes for economic development and social justice.

Article 243S provides for the finances of the Municipalities, including the powers of the State Legislatures to make laws on the finances of the Municipalities.

Article 243T provides for the superintendence, direction, and control of Municipalities by the State Election Commission.

Overall, Part IXA of the Constitution of India lays down the provisions regarding the organization and powers of the Municipalities, and aims to empower urban communities through local self-government and promote economic development and social justice.

भाग IXA: नगर पालिकाएं

भारत के संविधान का भाग IXA नगर पालिकाओं से संबंधित है। इसमें नगर पालिकाओं के संगठन और शक्तियों के संबंध में प्रावधान हैं, जो भारत में शहरी स्थानीय स्व-सरकारी संस्थान हैं।

अनुच्छेद 243P नगर पंचायतों (ग्रामीण से शहरी क्षेत्रों में संक्रमण वाले क्षेत्रों के लिए) और नगर परिषदों (छोटे शहरी क्षेत्रों के लिए) और नगर निगमों (बड़े शहरी क्षेत्रों के लिए) के गठन का प्रावधान करता है।

अनुच्छेद 243Q अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और महिलाओं के लिए सीटों के आरक्षण सहित नगरपालिकाओं की संरचना का प्रावधान करता है।

अनुच्छेद 243 आर आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय के लिए योजनाओं की तैयारी, और आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय के लिए योजनाओं के कार्यान्वयन सहित नगर पालिकाओं की शक्तियों और जिम्मेदारियों का प्रावधान करता है।

अनुच्छेद 243 एस नगर पालिकाओं के वित्त पर कानून बनाने के लिए राज्य विधानसभाओं की शक्तियों सहित नगर पालिकाओं के वित्त के लिए प्रदान करता है।

अनुच्छेद 243T राज्य चुनाव आयोग द्वारा नगरपालिकाओं के अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण का प्रावधान करता है।

कुल मिलाकर, भारत के संविधान का भाग IXA नगर पालिकाओं के संगठन और शक्तियों के बारे में प्रावधान करता है, और इसका उद्देश्य स्थानीय स्वशासन के माध्यम से शहरी समुदायों को सशक्त बनाना और आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय को बढ़ावा देना है।